सं0सं0–6 / एन0–16–05 / 2009–.......

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

रउफ मुस्लिम जामिया, चाँद महल, बहेड़ा, दरभंगा द्वारा संचालित ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल डॉ0 एस0एम0 नक्की इमाम डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बहेड़ा, दरभंगा का पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–1023(6), दिनांक–03.11.2016 के माध्यम से गठित औचक निरीक्षण दल द्वारा दिनांक–24.11.2016 को औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण दल द्वारा उक्त संस्थान के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है, यथा–"स्कूल में छात्राएँ अनुपस्थित थी, प्राचार्य द्वारा बताया गया कि छात्राएँ अनुमण्डलीय अस्पताल, बेनीपुर में क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए बस से टयूटर के साथ गयी है। अनुमण्डलीय अस्पताल से उसी समय जाँच करने पर कोई भी छात्रा उपस्थित नहीं थी ना ही बस या टयूटर उपस्थित थे। उपाधीक्षक अनुमण्डलीय अस्पताल बेनीपुर ने लिखित रूप से दिया है कि उनके दो साल के कार्यकाल में उक्त संस्थान के कोई भी छात्रा प्रशिक्षण के लिए नहीं आयी है।" उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट होता है कि संस्थान का संचालन एवं प्रशिक्षण आदि का कार्य नियमानुकूल संपादित नहीं किया जा रहा है।

पुनः उल्लेखनीय है कि भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा दिनांक–05.05.2016 को उक्त संस्थान का निरीक्षण किया गया था एवं निरीक्षणोपरान्त संस्थान को ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम हेतु अस्वीकृत किया जा चुका है।

अतः संस्थान के औचक निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा की गयी अस्वीकृति के आलोक में रउफ मुस्लिम जामिया, चाँद महल, बहेड़ा, दरभंगा द्वारा संचालित ए0एन0एम0 ट्रेनिंग स्कूल डॉ0 एस0एम0 नक्की इमाम डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बहेड़ा, दरभंगा को पूर्व निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक–714(6), दिनांक–09.09.2011 के माध्यम से पूर्व प्रदत्त मान्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं0सं0–6 / एन0–16–05 / 2009 – 177(6) पटना दिनांक 23 / 02 / 2017

प्रतिलिपिः– सचिव, डॉ0 एस0एम0 नक्की इमाम डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, बहेड़ा, दरभंगा – 847201 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, दरभंगा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी (श्री प्रसाद), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इस आदेश को विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।